

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 सितम्बर 2013—आश्विन 3, शक 1935

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर 2013

अधिसूचना क्र. 65-एफ-1-23-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, निम्नलिखित नगर नगरपालिका परिषद् में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :-

जिले का नाम (1)	नगरपालिका परिषद् का नाम (2)	क्र. (3)	एल्डरमेन का नाम एवं पता (4)
उज्जैन	नागदा	1.	श्री गंगाराम गोपीलाल गुर्जर, रामसहाय मार्ग, नागदा.
		2.	श्री पंकज जैन पिता श्री बम्बई प्रसाद जैन, जवाहर मार्ग, महावीर भवन के पास, नागदा.
		3.	श्री पूनमचंद्र रामलाल गेहलोत, महाराणाप्रताप नगर, 56 ब्लॉक, नागदा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.